Bill No. 11 of 2020

THE RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 23 of 1961.- For the existing section 21 of the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 (Act No. 23 of 1961), the following shall be substituted, namely:-

"**21. Suits for money or damages.-** In a suit for money (including a suit for damages or compensation, or arrears of maintenance, or annuities, or of other sums payable periodically), fee shall be computed on the amount claimed:

Provided that where the suit is for damages for defamation, the fee shall be computed on the amount claimed, subject to a maximum fee of rupees twenty five thousand:

Provided further that in an action or suit for damages under the Fatal Accidents Act, 1855 (Central Act No. 13 of 1855) a fixed fee of rupees ten shall be payable on the plaint or the memorandum of appeal.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961 was enacted by the State Legislature providing for levy of court fees on various suits, appeals etc. Section 21 of the Act provides for payment of court fees in a suit for money (including a suit for damages or compensation, or arrears of maintenance, of annuities, or of other sums payable periodically) to be computed on the amount claimed. In terms of Schedule appended to the Act, in respect of all suits covered by section 21, the *ad valorem* court fees without any ceiling is liable to be paid. It has been realised that on account of not prescribing any ceiling on the court fees in respect of suit for defamation, the people do not resort to the remedy of filing suit for damages as the amount of court fees becomes high. The suit for damages in such cases cannot be treated at par with the regular money suit and, therefore, it has been decided that the cap on payment of court fees in regard to the suit for damages for defamation should be fixed so as to enable a victim or a person affected on account of defamation to avail of remedy of suit for damages. Accordingly, section 21 of the Act is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION ACT, 1961
(Act No. 23 of 1961)

XX XX XX XX XX

21. Suits for money.- In a suit for money (including a suit for damages or compensation, or arrears of maintenance, of annuities, or of other sums payable periodically), fee shall be computed on the amount claimed:

Provided that in an action or suit for damages under the Fatal Accidents Act, 1855 (Central Act 13 of 1855) a fixed fee of rupees ten shall be payable on the plaint or the memorandum of appeal.

XX XX XX XX XX

2020 का विधेयक सं.11

¼प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद½

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 21 का संशोधन.- राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23) की विद्‌यमान धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**21. धन या नुकसानी के लिए वाद.-** धन के लिए किसी वाद में (नुकसानी या मुआवजे, या भरणपोषण या वार्षिकियों या नियतकाल पर संदेय अन्य राशियों की बकाया के लिए किसी वाद को सम्मिलित करते हुए) फीस दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी:

परन्तु जहां वाद मानहानि की नुकसानी के लिए है, वहां फीस, पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम फीस के अध्यधीन रहते हुए, दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी:

परन्तु यह और कि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) के अधीन नुकसानी के लिए किसी कार्रवाई या वाद में, वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर दस रुपये की नियत फीस संदेय होगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 विभिन्न वादों, अपीलों इत्यादि पर न्यायालय फीस के उद्ग्रहण के उपबंध करने के लिए राज्य विधान-मण्डल द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 21 धन के लिए किसी वाद में (नुकसानी या मुआवजे, या भरणपोषण या वार्षिकियों या नियतकाल पर संदेय अन्य राशियों की बकाया के लिए किसी वाद को सम्मिलित करते हुए) दावाकृत रकम पर संगणित की जाने वाली न्यायालय फीस के संदाय के लिए उपबंध करती है। धारा 21 के अन्तर्गत आने वाले समस्त वादों के संबंध में, अधिनियम से संलग्न अनुसूची के निबंधनों के अनुसार मूल्यानुसार न्यायालय फीस, किसी अधिकतम सीमा के बिना, संदेय है। यह महसूस किया गया है कि मानहानि के लिए वाद के संबंध में न्यायालय फीस पर कोई अधिकतम सीमा विहित नहीं किये जाने के कारण लोग नुकसानी के लिए वाद फाइल करने के उपचार का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि न्यायालय फीस की रकम अधिक हो जाती है। ऐसे मामलों में नुकसानी के लिए वाद को नियमित धन वाद के समान नहीं माना जा सकता और इसलिए, यह विनिश्चित किया गया है कि मानहानि की नुकसानी के लिए वाद के संबंध में न्यायालय फीस के संदाय पर उच्चतम सीमा नियत की जानी चाहिए ताकि मानहानि के कारण पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति को नुकसानी के लिए वाद के रूप में उपचार का उपयोग करने हेतु समर्थ बनाया जा सके। तदनुसार, अधिनियम की धारा 21 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 23) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

21. धन के लिए वाद.- धन के लिए किसी वाद में (नुकसानी या मुआवजे या भरण पोषण, वार्षिकियों या नियतकाल पर संदेय अन्य रकमों की बकाया के लिए किसी वाद को सम्मिलित करते हुए) फीस दावाकृत रकम पर संगणित की जायेगी:

परन्तु घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के अधीन नुकसानी की किसी कार्रवाई या वाद में वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर दस रुपये की नियत फीस संदेय होगी।

XX XX XX XX XX

<u>2020 का विधेयक सं. 11</u>

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, **प्रभारी मंत्री**)

<u>Bill No. 11 of 2020</u>

THE RAJASTHAN COURT FEES AND SUITS VALUATION (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAMIL KUMAR MATHUR,

Secretary.

(**Shanti Kumar Dhariwal**, **Minister-Incharge**)